

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालमाथ ।

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता०

मिति ३२ रहमान

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार निमित्त वाद संख्या- 41 / 2021-22

वाद का प्रकार

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3

11.10.21

आवेदक मिति ३२ रहमान फिर्मा हवा गुलाम खानगी आम्ने - बालूमाथ के इस आवेदन दिया गया है कि मीठा - बालूमाथ के खर्चा नं० १११ पेट नं० १५१ एका ३.७३ रुकड़। इससे देखने भूमी है। जिसमें खरीदारी प्रवांसी, पन्हुत उच्च विद्यालय बालूमाथ इस बजट एन बीसीएन कधि क्रिया आ रहा है। साथ ही आवेदक के आलोक में वह प्राप्ति किआसी है। इस पक्ष के तहियत निवेदन करें। वह भी आगामी तिथि को इस पक्ष अपने-अपने समझ में राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित रहें। वह भी आगामी तिथि १६.१०.२०२१ को निवेदन से आसी है।

अंचल अधिकारी
बालूमाथ

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

गौरी जट्ट रहमान से बनाम ठनी काने, जन्मदिनांक 12-11-1978

क - ता०

बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 41 / 2021-22

का प्रकार -

मिथिलवाद

आदेश की
सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

3

क

की
कै
जी
त

16-10-21 अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित ।
अधीहस्ताक्षरी के अन्य सहायी कार्य में व्यस्त रहने
के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी । वाद की
अगली तिथि 21.10.2021 को निर्धारित की जाती है ।

16.10.21
अंचल अधिकारी
बालूमाथ

21-10-2021 अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित ।
अधीहस्ताक्षरी के अन्य सहायी कार्य में व्यस्त रहने
के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है । वाद
की अगली तिथि 23.10.2021 को निर्धारित की
जाती है ।

21.10.21
अंचल अधिकारी
बालूमाथ

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० मोती हनुमान नगर रुकी बानो (अचार्ज + २ सि) तक

१ - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 41 /2021-22

का प्रकार विपिव्य वाद

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.10.2021	अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थित । प्रथम पक्ष के द्वारा खारा 111 प्लॉट-10 में 8 सी० अर्बि या बना प्रामुख किया गया । इनका कहना है कि उक्त अर्बि विद्यालय के दंगरि नहीं जाग है । उक्त अर्बि में दिल्ते की अर्बि ही विद्यालय के दाता प्रथम पक्ष अर्बि विद्यालय के होने से तत्पश्चात भाग दिया गया तथा बतलाया गया कि यह किसी उक्त का भागदारी या जो निर्माण कार्य के तहत किया जा रहा है अर्बि वर्तमान में प्रथम पक्ष के नामों के अर्बिपति खूना । बाद में निर्माण के पूर्व जाँच आवश्यक है । तात्पर्य नहीं से जाँच उपनिर्देश की मांग की । अर्बिलेख दिनांक 23.10.21 को है । 23.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
27-10-2021	अभिलेख उपस्थापित । पक्षों के मध्य भागों में चर्चा होने के कारण वाद की सुनवाई संभव नहीं हो पड़ी अभिलेख सुनवाई हेतु 29.10.21 को है । 27.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक - ता० मोरी ७ दिसंबर २०२१ तक
 अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार
 वाद का प्रकार पिपिदा वाद वाद संख्या- ४१ / २०२१-२२

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29.10.21	अप्रिलेन उपस्थिति । पड़ा के मजदूर कामों में चला रहे के कारण वाद की सुनवाई संभव नहीं हो पायी । अप्रिलेन दिनांक 3.11.21 को देवा अंचल अधिकारी बालूमाथ	
3.11.21	अप्रिलेन उपस्थिति । उम्र पक्ष उपस्थित । वाद में जॉन उमिरन जाय है उम्र पक्ष के दावा को भी प्रस्तावित जमा को दे दे उम्र की मांग नहीं की गयी । उक्त वाद में उम्र पक्ष की वादों को पूर्व में सुन गया है वाद को अदेश पर रखा जाना है अप्रिलेन दिनांक 13.11.21 को उपस्थिति को अंचल अधिकारी बालूमाथ	
13.11.21	अप्रिलेन उपस्थिति । अंचल अधिकारी के मजदूर कामों में चला रहे के कारण वाद की प्रगती नहीं 16.11.21 निर्धारित की गयी है । अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

देश पत्रक - ता० गौरीपुर हनुमान जंगल से हवी कानो (प्रार्थना + 12-नि) तक

जल - बालूमाथ जिला- लातेहार विधिव्य वाद संख्या- 41 / 2021-22

वाद का प्रकार

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5-11-21	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । वाद की सुनवाई के क्रम में पूर्व की निर्णयों में उभय पक्षकों के द्वारा प्रस्तुत शर्तें दस्तावेज - 111 पन्ना 1-151 रकबा - 08 बी० के समक्ष में अपना-अपना दवा प्रस्तुत कर चुके हैं। उभय पक्ष के द्वारा उपलब्ध कठिन गए स्थापन का अनुरोध किया । प्रथम पक्षका गौरीपुर हनुमान पिरा- 111 गुलाब रवानी के द्वारा वगैरह गंगा की खेतों में गैर पूर्व के नाम से पाया गया है। उसी भूमि में से 08 बी० शर्त विधानन के पहचानि (Bhandary) के अन्तर्गत है जो बाढ़ के हानि शर्त भी, जिसे वनपूर्वक विधानन के इच्छित कर लिया गया है। उसी 08 बी० शर्त में विधानन की शर्तों हवी कानो के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रही है। यदि यह शर्त वनपूर्वक विधानन को प्राप्त हुई है तो शर्त इस शर्त में गैर अधिका वगैरह है। स्थापन रूप में प्रथम पक्ष के द्वारा R-5 विधानन एवं अधिन जंगल रसीद प्रस्तुत किया गया ।	

आदेश पत्रक - 2
अंचल - बालूमाथ
वाद का प्रकार

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

(81)

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० गोरीगढ़ एमन कानून हवी कानो (प्रार्थना +2 वि०) तक
अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार विधिद्वय वाद संख्या- ५१ /2021-22

वाद का प्रकार

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16.11.21 आगाम	द्वितीय पक्षाका +2 विद्यालय बालूमाथ की प्रार्थना हवी कानो के द्वारा प्रश्नगत अति पर विद्यालय का पक्षिका को लेका गया प्रश्नगत करते हुए तबे दिना जमा कि उक्त खर्च की 08 जे अति विगत 40 खर्च से विद्यालय के पक्षाधिकारी के दस्तावेज है। उक्त 08 जे अति पा पूर्व में आवास बना था जिसे बदल का तादिकल स्टैण्ड बनमा जा एम है द्वितीय पक्षाका का कदम है प्रथम पक्षाका गोरीगढ़ एमन के पूर्वज द्वारा विद्यालय को लगगत 1.10 एम अति राज में दिना जमा था। अब यह अति सार्वजनिक अभ्यास की अति है। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष उक्त अति पर या उसके किसी भी दिक्कत पा दावा नहीं का सकते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा दस्तावेज पत्रा का सिद्धि दावेन दावेन के रूप में दिना जमा है, जिसमें लोगो के द्वारा विद्यालय की अति को इतिक्रम रुका जाने बना निर्माण करने आगे जाने का दस्तावेज किम है द्वितीय पक्ष उक्त अति पा विद्यालय का दावा सिद्ध करने के लिए	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० मंगी हसन बालूमाथ से मंगी लाल (प्रभागी +2 विद्या)

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या-

५१ / 2021-22

वाद का प्रकार

निर्दिष्ट नद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16-11-21 बालूमाथ	स्वास्थ्य के तम में कुछ हाजिर कागजात उपलब्ध कराए हैं। उक्त हाजिर कागजात के इवलेकन करने पर पता चला है की उक्त भूमि विद्यालय के अधीन 1958 से ही है। ये हाजिर कागजात बहुत स्पष्ट नहीं है एवं पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण तब तक खाने नहीं हो पाए हैं। बालूमाथ क्षेत्र स्थानित जनप्रतिनिधि उपप्रमुख बालूमाथ श्री संजीव सिन्हा एवं जिलापरीषद उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र राय के द्वारा लिखित आवेदन देखा जा रहा है की उक्त भूमि 60-70 सालों से विद्यालय के अधीन है। वर्तमान में खाने में त्रुटि के कारण उक्त भूमि-विवाद का कारण बन हो उनके द्वारा उक्त भूमि से अनियोजित तरीके से हटाने का प्रयास किया गया है। बालूमाथ मंचल के हाजिरकर्ता सह मंचल सीरीजक द्वारा प्रमुख जांच प्रमोशन का इवलेकन किया गया। उक्त जांच प्रमोशन में प्रमोशनर है कि हाल खाने में त्रुटि के कारण	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

80

आदेश पत्रक

श्री श्री (हमारे) नाम (की) नाम, (प्राप्त) तक

पत्रक - ता०

- बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 51 / 2021-22

विषय- वाद

द का प्रकार

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3

आदेश की क्र०सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

16.11.21
लातेहार

विद्यालय की शक्ति प्रकाश पक्षका के नाम से प्राप्त गता है जवकि वाद में यह शक्ति विद्या विद्यालय के नाम से करने में उहनी पाई है।

उपरोक्त सूची साक्ष्यों, तर्कों, प्रमाणों, जांच प्रमाणों का विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस तरीके पर पहुँचा हूँ कि विद्यालय को इन की शक्ति प्रकाश पक्षका इन नहीं कर सकते हैं। यदि इन यह सार्वजनिक क्षेत्र हैं एवं विगत कई सालों से व्यक्तिगत लोग नहीं विद्यालय को इन हैं। ऐसे में प्रकाश पक्ष का इन मजबूर नहीं प्रतीत होता है। यदि प्रकाश पक्ष को उक्त 0830 शक्ति प्रकाश पक्ष की भी तो पूर्व के वर्षों में ऐसे करने चाहिए कि पक्ष इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। संभवतः हाल वर्षों में इनके नाम इन से इनके द्वारा प्रकाश पक्ष की शक्ति प्रकाश पक्ष में प्राप्त है। इनके द्वारा प्रकाश पक्ष का प्रकाश पक्ष है।

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक - ता० गौरीपुर रहना वनाज से दुनी कोठी (जपाना - १२-१०) तक
 अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार विभिन्न वाद संख्या- ५१ / 2021-22 - तक
 वाद का प्रकार _____

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में रिपोर्ट की तारीख सहित
1	2	3
६.११.२१ जपाना	बालूमाथ में विगत कई सालों से एक मात्र उच्च विद्यालय है। जहाँ ललित एवं इन्द्रलाल लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। वयों का अधिकतर इसी विद्यालय पर आश्रित है। ललित आशीष प्रसाद, कुपुगी, अरा, वयें सखी भी माला उच्च विद्यालय से जुड़ा है। यह वाद न नए नए एवं विद्यालय के छवि लोगों का माला अधिक प्रभावित होगा। अतः मैं उच्च निर्णय पर पहुँचा हूँ कि रकबा-१११, प्लॉट नं०-१५१ रकबा-०८ के अर्ज R-१८ नं० विद्यालय के अधीन रहना चाहिए। विद्यालय का महाप्रबन्धी के अधिकृत जपाना कोठे भी निर्माण कार्य, सिवाय में भा द्वा द्वि में कलाल के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में पूर्व में निर्णय पर पत्रोंक पत्र दिनांक १२.१०.२१ को विजोपी विद्यालय प्राप्त है। मैं निर्णय से असंतुष्ट पक्ष स्वयं न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। लेजापि एवं संवर्धित १६.११.२१ अंचल अधिकारी बालूमाथ १६.११.२१ अंचल अधिकारी बालूमाथ	